

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
27.11.2024 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 315 का उत्तर

एर्नाकुलम-बंगलुरु वंदे भारत ट्रेन का अचानक रोका जाना

315. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में एर्नाकुलम-बंगलुरु वंदे भारत रेलगाड़ी को रोक दिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या रेलगाड़ी के अचानक रोकने का कोई विशेष कारण था;
- (घ) क्या सरकार की एर्नाकुलम-बंगलुरु वंदे भारत रेलगाड़ी को शीघ्रतिशीघ्र पुनः चलाने की कोई योजना है; और
- (ङ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में केरल राज्य के लिए नई बंदे भारत रेलगाड़ियां स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

एर्नाकुलम-बंगलुरु वंदे भारत ट्रेन का अचानक रोका जाना के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में एडवोकेट डीन कुरियाकोस के अतारांकित प्रश्न सं. 315 के भाग (क) से (ड) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड): सरकार ने एर्नाकुलम-बंगलुरु वंदे भारत का परिचालन बंद नहीं किया है। यह धारणा इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई होगी कि 31.07.2024 से 26.08.2024 तक की अवधि के दौरान अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने के लिए 06001/06002 एर्नाकुलम-बंगलुरु कैंट विशेष ट्रेन सेवा अतिरिक्त वंदे भारत रैक का उपयोग करके चलाई गई थी। यह गाड़ी इस क्षेत्र को सेवित करने वाली 9 जोड़ी नियमित गाड़ी सेवाओं के अतिरिक्त थी।

वर्तमान में, वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी गाड़ियां केरल राज्य में स्थित स्टेशनों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। इसके अलावा, चूंकि रेल नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला होता है, इसलिए ऐसी सीमाओं के पार नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार गाड़ियां शुरू की जाती हैं। इसके अलावा, भारतीय रेल में यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन, वंदे भारत सेवाओं सहित गाड़ी सेवाओं की शुरुआत करना एक सतत प्रक्रिया है।

इसके अलावा, मौजूदा रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल द्वारा केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कई अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू किया गया है। 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, 419 किलोमीटर लंबाई की 08 परियोजनाएँ (02 नई लाइन और 06 दोहरीकरण परियोजनाएँ), जिनकी लागत ₹12,350 करोड़ है, योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरणों में हैं और मार्च 2024 तक, इन पर ₹3,046 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2014 से, केरल राज्य में परियोजनाओं के निधि आवंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार है:-

| अवधि    | औसत परिव्यय     | 2009-14 के औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि |
|---------|-----------------|------------------------------------------|
| 2009-14 | ₹372 करोड़/वर्ष | -                                        |
| 2024-25 | ₹3,011 करोड़    | लगभग 8 गुना                              |

रेलवे राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिगृहीत करती है। राज्य सरकार मुआवजे का आकलन करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग की प्राप्ति पर रेलवे संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुआवजा राशि जमा करती है। बहरहाल, केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है, जिसका विवरण नीचे सारणी के रूप में दिया गया है:

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| केरल में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि | 475 हैक्टेयर       |
| अधिगृहीत भूमि                                | 64 हैक्टेयर (13%)  |
| अधिगृहीत की जाने हेतु शेष भूमि               | 411 हैक्टेयर (87%) |

रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार को पहले ही 2112 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

\*\*\*\*\*